

FORM-I
(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli
No---

Dated-22-07-2021

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1.632 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department for Construction of Simli to Nakholi Motor Road. in Chamoli district falls within jurisdiction of Simli, Nakholi village (s) in Tharali tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.632 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexureto
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.


जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली


Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
चमोली


प्रभागीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Swati S. Bhadoriy I.A.S deputy commissioner, on dated 22-07-2021 at time 16:00 HRS. at Chamoli in which application claiming rights in Simli, Nakholi area measuring 1.632 hect for the Construction of Simli to Nakholi Motor Road. forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Chamoli.

Dated: 22-07-2021


जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली


Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
जिला अधिकारी
चमोली


प्रभागीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ दत्त प्रभाय गोपेश्वर
(चमोली)



Attachement 1.6 (B)

परियोजना का नाम :- सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे० सिविल, 1.322 हे० वन पंचायत, कुल 1.632 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील - थराली

उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत 1.632 हे० (हे० आरक्षित वन भूमि, 0.310 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.322 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.632 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थराली) की दिनांक 07/06/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सुधीर ~~धरम~~ कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री सुधीर ~~धरम~~ कुमार उपजिलाधिकारी उपजिलाधिकारी - अध्यक्ष
- 2- श्री जुगल किशोर चौधन उप प्रभागीय वनाधिकारी उप प्रभागीय वनाधिकारी - सदस्य
- 3- श्री सती सरस्वती वरमोहा सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य / सचिव
- 4- श्री मती सरस्वती देवी बी०डी०सी० क्षेत्र सदस्य क्षेत्र पंचायत 08 राजकोट वि० ख० नाटावधमड - सदस्य
- 5- श्री बी०डी०सी० क्षेत्र जनक - सदस्य
- 6- श्री देवेन्द्र सिंह शर्मा बी०डी०सी० क्षेत्र HTO 270 00-2021 - सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया किसिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के परियोजना हेतु 1.632 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।



संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड तहसील थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.632 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – थराली
जनपद – चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – थराली
जनपद – चमोली

Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :- विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु १:३१० हे० सिविल, १:३२२ हे० वन पंचायत, कुल १:६३२ हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नाखोली
तहसील - , जनपद - चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग हेतु (०:३१० हे० सिविल, १:३२२ हे० वन पंचायत, भूमि) अर्थात कुल १:६३२ हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नाखोली

द्वारा दिनांक ०२/०९/२०१९ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नाखोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

[Signature]
ग्रामपंचायत अधिकारी
क्षेत्रमुहर सहित दिनांक
वि०ख० नारायणबगड़



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)

दिनांक 02/09/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ...चमोली...

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	फुल्लर सिंह बिष्ट	
2	खिलनाथ सिंह भण्डारी	
3	शेरू सिंह ठाकुर	
4	कुर्जा सिंह शर्मा	
5	भगता सिंह	
6	दिवना सिंह	
7	विक्रम सिंह	
8	खिलनाथ सिंह कुटोवा	
9	पार सिंह	
10	शेरू सिंह	
11	नरेश सिंह	
12	हनुमता सिंह	
13	धन सिंह	
14	विक्रम सिंह	
15	रविन्द्र सिंह	

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 बि0
थराली (चमोली)



Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :- विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0:31.0 हे० सिविल, 1:32.2 हे० वन पंचायत, कुल 1:63.2 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - सिमली
तहसील - , जनपद - चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग हेतु (0:31.0 हे० सिविल, 1:32.2 हे० वन पंचायत, भूमि) अर्थात् कुल 1:63.2 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिमली

द्वारा दिनांक 02/09/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिमली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
मुहर सहित
विकास खण्ड (नाखोली)

ग्राम प्रधान/ससचिव
मुहर सहित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)

दिनांक ...02/09/2019...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
 ग्राम पंचायत ...चिमोली.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	शुभदाशरथ जैन	
2	बकीराम सूती	
3	नन्दराम लुणी	
4	शोचवडी	
5	इलका देवी	
6	देवक विहारे कुटोला	
7	कुंलपसिंह	
8	जीत सिंह	
9	जयपाल सिंह बुढेली	
10	दिग्गज सिंह	
11	राजमूसिंह रावत	
12	जयवीर सिंह रावत	
13	अगतसिंह	
14	लक्ष्मणसिंह रावत	
15	नरेन्द्रसिंह	

सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
 थराली (चिमोली)

